जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 13.09.2024**

थाना कांधला पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 13.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व मे थाना कांधला पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 01 गैंगस्टर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मोहित सैनी पुत्र सतपाल सैनी नि0 मौ0 रायजादगान कस्बा व थाना कांधला शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 232/2022 धारा 414 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 296/2022 धारा 379/411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

3.मु0अ0स0 72/2024 धारा 392/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

4.मु0अ0स0 73/2024 धारा 3/4/25 आयुध अधि0 थाना काधला जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 287/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कांधला जनपद शामली।

थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा लूट की घटना में शामिल 01 अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड मे लेकर निशांदेही पर लूटा गया सामान बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 01.08.2024 की रात्रि को थाना गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत वादी श्री सुशील पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम सिम्भालका थाना झिंझाना जनपद शामली के भाई श्री कैलाश पुत्र पदम सिंह व भाभी के साथ मारपीट कर मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर, मंगलसूत्र, कुंडल, नकदी लूट कर ले जाने व थाना झिंझाना पर मनीष पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम बीबीपुर थाना झिंझाना के द्वारा उसकी मोटरसाइकिल व नगदी अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट लिये जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना गढीपुख्ता व झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा 05 टीमों का गठन कर घटना के यथाशीघ्र अनावरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा घटनास्थल एवं उसके आस-पास से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर अहम सुराग जुटाकर घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 08.08.2024 को 01 लुटेरे अमन को लूटे गये माल के साथ बाद मुठभेड़ गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी।उक्त लूट की घटना में शामिल अभियुक्त रवि को दिनाँक 07/08/2024 को थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा बाद मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया था। शेष 01 अभियुक्त शिवम द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 13.09.2024 को थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा थाना गढ़ीपुख्ता पर पंजीकृत अभियोग में वांछित जिला कारागार मुजफ्फरनगर में आत्मसमर्पण किये गये अभियुक्त शिवम पुत्र विक्रम निवासी ग्राम दरगाहपुर थाना झिंझाना जनपद शामली को पीसीआर पर लेकर उसकी निशांदेही पर लूटे गये सामान की बरामदगी की गई। बरामदगी के संबंध मे थाना गढ़ीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.शिवम पुत्र विक्रम निवासी ग्राम दरगाहपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक मंगलसूत्र पीली धातू।

प्रेस नोट

थाना कांधला, कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 13.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कांधला, कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में थाना कांधला व कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.देवेन्द्र कुमार पुत्र सुमेरचन्द्र निवासी ग्राम कण्डेला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.रमेश पुत्र अतरू निवासी ग्राम खेडा कुरतान थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ कुकर्म करने के मामले में बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा मेः-

आज दिनांक 13.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे बच्चों के साथ हो रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ कुकर्म करने के मामले में 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 21.08.2024 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने के सम्बन्ध में परिजन द्वारा थाना कैराना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजेश सिंह थाना कैराना जनपद शामली।

2.का0 मयूर यादव थाना कैराना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बल्हेड़ा के जंगल में प्रतिबन्धित पशु को घायल कर मृत्यु कर देने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त गंड़ासी बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 26.08.2024 को थाना झिंझाना पुलिस को ग्राम बल्हेड़ा के जंगल में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रतिबन्धित पशु का पैर काटकर घायल कर देने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल थाना झिंझाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर घायल प्रतिबन्धित पशु को उपचार हेतु भेजा गया था जहाँ पर प्रतिबन्धित पशु की मृत्यु हो गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 13.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बल्हेड़ा के जंगल में प्रतिबन्धित पशु को घायल कर मृत्यु कर देने के मामले में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त गंड़ासी सहित हिरासत में लेने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता घायल/गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.इस्लाम उर्फ काला पुत्र मुद्दा निवासी ग्राम अशरफपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त एक गंड़ासी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री ओमबीर सिंह थाना कैराना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई 05 वर्ष के कारावास की सजा एवं 16,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

वर्ष 2021 में थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त विपिन पुत्र ईश्वर निवासी मौहल्ला बूढ़ा बाबू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़, मारपीट, गाली गलौच की घटना कारित की गयी थी। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। ***जिसके क्रम में आज दिनांक 13.09.2024 को माननीय न्यायालय एडीजे-स्पेशल पोक्सो कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त विपिन उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 5,000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 504 भादवि में 01 वर्ष का कारावास व 1,000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 9एम/10 पोक्सो अधिनियम में 05 वर्ष का कारावास की सजा व 5,000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 3(2)va एस0सी0एस0टी0एक्ट में 05 वर्ष का कारावास व 5,000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।***

नाम व पता अभियुक्तः-

1.विपिन पुत्र ईश्वर निवासी मौहल्ला बूढ़ा बाबू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्ध शामली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में शस्त्र अधिनियम के 01 मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा व अर्थदंड से दण्डित किया गया:-

1. वर्ष 2000 में अभियुक्त नासिर पुत्र बशीर निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 169/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त कासिम उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 13.09.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि व 1,000/- अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्त उपरोक्त:-

1.नासिर पुत्र बशीर निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI